'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.08.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 19 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 अगस्त, 2015

पंजाब केसरी (21/08/2015) एवं दैनिक हिन्दुस्तान (22/08/2015) में प्रकाशित लेख

परिवार और जाति तक सीमित देश

डॉ. उदित राज
संसद सदस्य (लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

कुछ तो गड़बड़ है कि अनगिनत विचार, योजनायें, भाषण, कार्यक्रम बनते हैं, लेकिन धरातल तक पहुंच नहीं पाते। सरकार ने तमाम अच्छी योजनाएं चलाई हैं लेकिन जमीन पर उतारने की चुनौती सबसे बड़ी है। हैरानी की बात है लोग कहते तो हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते, यह एक बड़ा रहस्य है। लोग देश-भक्ति की बात कहते थकते नहीं हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो दिखती नहीं। यह भी कहते थकते नहीं कि हमसे उच्च विचार वाले दुनिया में और कोई हैं नहीं। सादगी हमारी संस्कृति है। सबको उम्मीद सरकार से ही रहती है, जो भी करे वही करे। पिछले महीने सिडनी में भारतीयों को सम्बोधन में एक ऐसा प्रश्न उठा कि भारत अभी स्वच्छ कहां हुआ, पधानमंत्री क्या किए ?जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ने शुरूआत में झाड़ू हाथ में पकड़ी और सफाई अभियान चलाया। सारे सांसद और मंत्री भी ऐसा किए। ये घर-घर सफाई करने तो नही जाएगें, सभी को अपने घर और क्षेत्र की सफाई करनी है। इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जब देश और समाज की बात आती है तो लोगों की जिम्मेदारी और योगदान कहां गायब हो जाता है। खुद के काम के लिए भी सरकार से अपेक्षा। यक्ष प्रश्न है कि क्या इसे परिवर्तित किया जा सकता है ?

देश और समाज के लिए जब-जब कुछ करने का अवसर होता है तब लोगों के पास समय और साधन का अभाव हो जाता है लेकिन निजी स्वार्थ में ऐसा नहीं होता। कहीं परिवार और जाति पोषण, साधन और समय को तो नहीं निगल जाते। यही सब खर्च हो जाता है तो समाज और देश के लिए बचता ही नहीं। यही कम करती है राष्ट्रीयता की भावना। यह नहीं कहा जा रहा है कि अपने परिवार और जाति के बारे में न सोचो और करो। देश के लिए न कर सको तो भी चल जाएगा लेकिन आघात तो नहीं पहुंचाना चाहिए। मजदूर हैं तो मांग करते हैं - चाहे जो मजबूरी हो- हमारी मांगे पूरी हों। सरकार के पास साधन न भी हो और करने में मजबूर हो तो भी इनकी मांगे जैसे मजदूरी एवं अन्य सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। दुनिया के किस देश में ऐसे लोग होगें जो कहते हों कि चाहे जो मजबूरी हो लेकिन हमारी जरूरत को पूरा करो। यह राष्ट्र और समाज की कीमत पर निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो क्या है ?भारतीय संचार निगम लिमिटेड के सारे युनियन इकट्ठा होकर सम्मेलन कर रहे थे और उसमें मुझे भी अतिथि के रूप में बुला लिया। मैं सवाल किया कि क्या कभी युनियनों भारतीय संचार निगम लिमिटेड के घाटे के बारे भी धरना-प्रदर्शन करती है। बी. एस.एन.एल. की सेवा ठीक नहीं रहती और निजी टेलिकाम कम्पनियों के कुछ कर्मचारियों की सांठ-गांठ से यह होता है। समय पर आधुनिक उपकरण न लगाने से, निजी कम्पनियां बेहतर सेवायें दे जाती हैं। यूनियन इसको लेकर आंदोलन तो नहीं करती। मेरी यह बात नेताओं को नागवार जरूर गुजरी होगी। आज तक शायद ही देश में युनियन कर्मचारियों एवं नेताओं की लूट के खिलाफ आंदोलन किया होगा लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए आए दिन ज्ञापन एवं हड़ताल। इस उदाहरण से यह बात समझ में आती है कि शक्ति, भावना एवं सर्मपण अपनी जरूरत के लिए ही इस्तेमाल हो जाती है तो समाज और देश का हित दूसरी प्राथमिकता पर पहुंच जाते हैं।

कुछ लोग देश के ऊपर एहसान जब जताने कि बात करते हैं तब और कष्ट हो जाता है। अगर किसी के बाप, दादा, परदादा अच्छे काम किए हों जैसे खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी तो उनका एहसान देश के ऊपर चढ़ जाता है कि सरकार उनकी औलादों की देख-रेख करे। ध्यानचंद हाकी के बड़े अच्छे खिलाडी थे लेकिन अब उनके नाती-पोते साधारण जिन्दगी बिताते हैं तो अखबार में छपता है कि देखो एक बड़े खिलाडी के बच्चों की क्या दुर्दशा है। इसमें समाज और सरकार क्या करे ?किसी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा या नाती मजदूरी कर रहा है तो मिडीया जोर-जोर से चिल्लाती है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान का यह हस्र। सेना में भर्ती होने के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा है यह सभी जानते है। भर्ती के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि इन्तजाम के लिए पुलिस बुलाई जाती है। जिसकी नियुक्ति हो जाती है उसके परिवार के खुशी का ठिकाना नही होता। ऐसे लोग गरीब और मामूली परिवार के ही होते है और यह नौकरी गुजारे का सहारा है। बिना वेतन के तो कोई काम नहीं करता। दुश्मन के हाथो यदि घायल या मौत हो जाती है तो निश्चत तौर से देश के लिए बलिदान है। इनकी वेतन और सुविधा देश की जनता के पैसे से दिया जाता है, मुफ्त में सेवा तो नहीं करते । हाल में सीमा पर एक फौजी की मौत हो गई, जब हरियाणा के गांव में उसका पार्थिव शरीर लाया गया तो गाव के लोगों में रोश इस लिए उत्पन हुआ कि सरकार के मंत्री नही पहुंचे। आनन-फानन में सरकार ने किसी को भेजा। मौत बलिदान तो है लेकिन यह देश के ऊपर एहसान नहीं है। स्वेच्छा से सरकार का प्रतीनिधि का जाना बनता है। कर्ज तो तब चढ़ता है जब निःस्वार्थ किया गया हो।

इस बेचारे देश पर एहसान ही लादा जाता रहता है जैसे कि लोगों की जिम्मेदारी ही नहीं है। अमीर आदमी टैक्स देकर एहसान जताता है कि जैसे उसी ने उत्पादन किया हो और खुद को ही सारा माल बेच दिया हो। कच्चा माल से उत्पादन तक किसानों और मजदूरों का जैसे योगदान ही न हो। खरीद तो आम जनता करती है, तभी तो आमदनी होती है तो जो टैक्स

शेष पृष्ठ 3 पर

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों सहित दलित संगठनों से अपील

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ कर्मचारी-अधिकारी संगठन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दरअसल वे हानि ज्यादा कर रहे हैं। उनके धरने और प्रदर्शन में शक्ति का दुरूपयोग ज्यादा किया है। 1997 के समय उ0प्र0 में कर्मचारियों-अधिकारियों की अलग से सक्रियता नहीं थी, बल्कि ज्यादातर परिसंघ के साथ थे और उनके सहयोग से आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुए। 2011 से वे अपने-अपने गुट बनाकर धरना-प्रदर्शन करने लगे। सरकारों को यह पता लग गया कि अब ये परिसंघ के साथ नहीं हैं अर्थात् फूट पड़ गयी है और वही कारण है कि डिमोशन हो रहा है और लोक सभा में बिल पास नहीं हो पा रहा है। अगर ये हमारा साथ न दें तो कोई बात नहीं लेकिन अपने अहंकार की तुष्टि और नेतागिरी की वजह से हानि न करें। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ स्वयं सक्षम है इसे सही कराने के लिए। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यूपी पॉवर कॉरपोरेशन में नेता ज्यादा हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा हानि भी हो रही है और मुकदमें भी वहीं हारे हैं। क्या कोई इन्हें समझा सकता है कि अब अपनी नेतागिरी बंद कर दें वरना दूसरे विभागों का भी उसी तरह से हानि होने लगेगी। मैं अपील करता हूं कि अभी भी सभी एकत्रित हो जाएं तो आरक्षण बच सकता है और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 01 नवंबर, 2015 को रेलवे स्टेडियम, नजदीक चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ में पदोन्नति में आरक्षण हेतु डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1997 के समय की जैसी एकता दिखाते हुए आपसी वैमनस्य छोड़कर यदि सभी दलित संगठन एकत्रित हो जाएं तो पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई तो जीती ही जा सकती है, साथ-साथ अन्य उपलब्धियां भी प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।

- जगजीवन प्रसाद,
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9415007459

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

07 दिसंबर, 2015 को दिल्ली में राष्ट्रीय रैली

डॉ. उदित राज, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष 07 दिसंबर, 2015 को रामलीला मैदान, दिल्ली में रैली करने का फैसला किया गया है। प्रदेश, जिले व ब्लाक स्तर सहित परिसंघ की सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि जहां-जहां अभी तक प्रोदेशिक सम्मेलन / जिला सम्मेलन नहीं हुए हैं, अतिशीघ्र कर लिए जाएं। बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मैं स्वयं आ सकता हूं। विशेष सदस्यता अभियान द्वारा बनाए गए सदस्यों के ब्योरे अब राष्ट्रीय कार्यालय लेना शुरू करेगा। जनसभाओं में भी सदस्यता का ब्योरा लिया जा सकता है। प्रदेश एवं जिले स्तर के सदस्यता के आकड़े 'वॉयस ऑफ बुद्धा' बुद्धा के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगें।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ शीतकालीन सत्र से पहले लखनऊ में महारैली करेगा

लखनऊ 22 अगस्त 2015, अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) ने बताया कि परिसंघ के चेयमैन एवं लोक सभा सदस्य मा. डॉ. उदित राज जी ने 31 जुलाई 2015 को लोक सभा में शून्य काल के दौरान बहुत दिनों से लम्बित पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया था, उन्होनें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित बिल राज्यसभा ने 2012 में ही शीतकालीन सत्र में पास कर दिया था लेकिन समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण लोकसभा में लटक गया था। पदोन्नति में आरक्षण हेतु 85 वां संवैधानिक संशोधन श्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने किया था जिसे मा. सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इस मामले को पांच जजों की बेंच ने सुना और कुछ संशोधनों के साथ इसे खारिज कर दिया था। याह मामला नागराज के नाम से जाना जाता है। इसी मामले को लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी और लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर 4 जनवरी 2011 को दिये गये निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी।

जगनजीवन प्रसाद जी एवं अन्य पदाधिकारी प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए

सुश्री मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मामला सर्वोच्च न्यायलय की दो जजों की बेंच के समक्ष ले गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ हाईकोर्ट के निर्णय को बरकार रखा। उस समय यदि सुश्री मायावती जी चाहती तो एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट लेकर पदोन्नति में आरक्षण चालू रख सकती थी। न तो हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच नागराज मामले के पाँच जजों के निर्णय को बदल सकती है लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में ऐसा हुआ। पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश के हजारों-हजार कर्मचारी-अधिकारी डिमोट हो रहे हैं जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। उन्होंने केन्द्र सरकार से लोक सभा के माध्यम से भी अपील की कि अतिशीघ्र पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धित बिल पास करके इस विसंगति हो दूर किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण का लाभ बरकार रखा जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के कर्मचारी-अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। राजस्थान व बिहार की सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में कमेटी बनाकर उसकी सिफारिशें के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा है। डॉ. उदित राज ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार से अपील भी की कि वह दलित कर्मचारियों/ अधिकारियों का उत्पीड़न बन्द करें प्रदेश में खाली पदों की भर्ती हो, अस्थाई कर्मियों को नियमित किया जाए। सफाई कर्मियों को समयबद्ध पदोन्नति मिले।

प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री जगजीवन प्रसाद जी ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले वे अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले एक महारैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेंगे और लोकसभा में पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास कराने का हर सम्भव प्रयास करेंगे और उत्तर प्रदेश के डिमोट कर्मचारियों-अधिकारियों को पुनः उनको पूर्व की स्थिति में बहाल करायेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जब माननीय उच्च न्यायाल ने 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई थी तो परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज जब वे सांसद नहीं थे उस समय भी लखनऊ आकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों- अधिकारियों एवं संगठनों से इस मामले में सहयोग मांगा था लेकिन यहां उनको सहयोग नहीं मिला बल्कि कुछ लोगों ने जातीय जहर के आधार पर उनका विरोध भी किया था। आज हजारो कर्मचारी-अधिकारी डिमोट होने जा रहे हैं, इन सभी को मालूम था कि वे डिमोट हो सकते हैं, उन्होंने जिला-मण्डल एवं प्रदेश स्तर के छोटे-छोटे संगठनों को ही सहयोग किया जबकि पूरे देश को मालूम है कि डॉ. उदित राज जी के ही नेतृत्व मेंजब केन्द्र में भाजपा की सरकार थी तो परिसंघ के जन-आन्दोलन से ही संविधान में तीन संशोधन 81 वां, 82 वां एवं 85 वां हुआ था और आरक्षण बचाया था, लोकपाल में आरक्षण लागू कराना परिसंघ की ही देन है। परिसंघ का जन-आन्दोलन के जरिये आरक्षण बचाने का इतिहास रहा है।

जगजीवन प्रसाद जी ने विगत 4 अगस्त 2015 को संसद द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन बिल 2014 पास करने पर पूरे दलित समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यावद ज्ञापित किया और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

जगजीवन प्रसाद जी ने पत्रकार बन्धुओं से माननीय उच्च न्यायलय एवं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बार-बार यह आश्चर्य व्यक्त किया कि जब पदोन्नति में आरक्षण के नागराज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की बेंच ने हमारे/दलितों के हक में निर्णय दे दिया है तो माननीय उच्च न्यायलय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय की दो-दो जजों की बेंच के निर्णय को कैसे बदल सकती है। उन्होंने पत्रकार बन्धुओं से पूछा कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार एवं न्यायपलिका में सांप-छछूदर का खेल लगता है या कुछ और बात है।

- जगनजीवन प्रसाद
राष्ट्रीय समन्वयक एवं
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
मो. 9415007459

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, हमें लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

सरकारी नौकरी का सच: वेतन सरकार से और काम के लिए रखे थे किराये के टट्टू

सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों की कोई कमी नहीं है, और बुजुर्ग कहते भी थे न 'करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी'। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। चाहे वह नौकरी सफाई कर्मचारी की ही क्यों न हो। आवेदन लाखों में आते हैं और वह भी समाज के सभी वर्गो से। लेकिन समस्या यहीं से शुरु होती है। चयन के बाद उच्च वर्गो के लोग इस काम को छोटा मानकर या तो करते ही नहीं या फिर कोई अन्य रास्ता निकल लेते हैं। इसी तरह का एक वाकया बुलंदशहर से सामने आया है जहां जिले की ग्राम पंचायतों के 17 सफाईकर्मियों की अब हमेशा के लिए नौकरी से छुट्टी हो जायेगी। ये सफाईकर्मी सरकार से वेतन तो खुद लेते थे, लेकिन काम के लिए इन्होने 2 हजार रुपये में किराये का सफाईकर्मी नौकरी पर रखा था। प्रशासनिक अधिकारियों के छापे की जांच रिपोर्ट के खुलासे के बाद इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। इसके अलावा काम में लापरवाह 84 सफाईकर्मियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है।

प्रदेश की बसपा सरकार के राज में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाईकर्मियों की भर्ती हुई थी। सफाईकर्मियों की पद पर अच्छे पढ़े-लिखे और उच्चजाति के आवेदनों की भी तैनाती हुई। शायद यही वजह थी छोटे काम का सफाईकर्मियों ने वेतन तो लिया, लेकिन काम नही किया। जिला प्रशासन को इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी. जिलाधिकारी के आदेश पर चिन्हित ग्राम पंचायतों के स्थल निरीक्षण कराये गये जिसमें सफाईकर्मियों की करतूतें सामने आयी हैं। पूर्व डीपीआरओ परवेज आलम के समय से ठंडे बस्ते में पड़ी इस फाइल को जब तलब किया गया तो जांच रिपोर्ट डीएम के सामने पहुंची। इस लिस्ट में 17 सफाईकर्मी ऐसे मिले हैं जो काम नही करते, केव
ल सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। इन कर्मियों ने अपने स्थान पर काम करने के लिए दो हजार रुपये महीने का एक मजदूर किराये पर ले रखा हैं।

जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने ऐसे सफाईकर्मियों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा 84 सफाईकर्मी काम में लापरवाह मिले है। ग्रामीणों ने जांच अफसरों से शिकायत की है कि ये कर्मी नियमित नहीं है और सफाई कार्य में पक्षपात बरतते है। ऐसे कर्मियों को स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया हैं।

+++

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अजा/जजा परिसंघ द्वारा किए गए प्रमुख कार्य

साथियो,

सवाल उठ रहे है कि डॉ. उदित राज बदल गये है। कमजोर हो गये हैं। डॉ. उदित राज से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए ? क्या उसी से उम्मीद करनी चाहिए जो कुछ करता हो ? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ?उन लोगों ने ऐसी गलत फहमी फैलाई है जो पहले से जमे हुए हैं, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया और स्वयं को कमजोर होने का डर है। कुछ स्वार्थी जातिवाद करके जिन्दा हैं और वही हमारी बुराई करते हैं। दिमागी खुराक की खोज में नये-नये संगठन बना कर शक्ति का बंटवारा और समाज को धोखा। ये दलित और कुचले कम से कम इतना ही कर लें कि पूर्ण जानकारी के बाद ही कोई और अवधारणा बनाए।

जो कार्य अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पिछले 18 वर्ष में किया है अगर किसी दलित संगठन एवं नेता ने किया हो तो कोई बताने का कष्ट करे। उन कार्यों को विस्तार में न लिखकर संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। परिसंघ चुनौती देता है कि संवाद या लिखित रुप से हमारे द्वारा किए गए सामाजिक कार्य इतना किसी और ने किया हो ?यहां कुछ कार्यो का ही उल्लेख किया जा रहा है।

1. सन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उनकी वापिसी के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन हुआ था। 1997-1998-1999 एवं 2000 में विशाल आंदोलन हुए और जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ और आरक्षण बच पाया।

2. 4 नवम्बर 2001 को सरकारी दिक्कतों के बावजूद लाखों लोगो को बौध्द धर्म की दीक्षा दिलाई । रामराज से उदित राज हो गए, जो ये प्रमाणित करता है कि यह जाति तोड़ने व वास्तविक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास था।

3. जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रहीं थीं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया । जब मुद्दे में जान आने लगी, तभी समाज के कुछ नेता घबरा गये और हमारा विरोध करके हमे कमजोर करने लगे । शुरुआत में आंदोलन के दबाव के कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में मंत्री समूह की कमिटी का गठन किया। अगर समाज पूरा साथ देता तो बहुत संभव है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अब तक मिल गया होता।

4. 2006 में जब पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानो में आरक्षण मिला तो उसका विरोध तथाकथित जातिवादी लोग करने लगे । तो परिसंघ ने ही मोर्चा संभाला और अंत में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला ।

5. अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग में दलितों के उत्पीड़न की आवाज कई बार हमने उठायी।

6. 2006 में नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके प्रमोशन में आरक्षण बचाने का कार्य किया । क्या देश का कोई ओर संगठन या व्यक्ति है जो उस समय सक्रिय हुआ ?अगर डॉ. उदित राज न होते तो शायद प्रमोशन में आरक्षण उसी समय खत्म हो जाता। 85वाँ संवैधानिक संशोधन के वजह से यह विवाद खड़ा हुआ था । संशोधन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस अधिकार को बचाने का कार्य परिसंघ ने ही किया। जो अधिकार डॉ. उदित राज ने दिलाया वह मायावती की सरकार में छिन गया। 4 जनवरी 2011 को प्रमोशन में लखनऊ हाई कोर्ट ने आरक्षण समाप्त कर दिया । हाई कोर्ट के आदेश ने इतना गुंजाइश छोड़ी की यदि राज्य सरकार चाहे तो कुछ शर्ते पूरा करके प्रमोशन में आरक्षण आगे चालू रख सकती है । जैसे राजस्थान की सरकार ने एक समिति बनाकर प्रमोशन में आरक्षण दिया वैसा मायावती सरकार ने क्यों नही किया ?सवर्ण वोट की लालच की खातिर मायावती जी स्वयं निर्णय न करके मामले को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और वहां पर हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लग गई । हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट न जाए लेकिन बसपा की सरकार ने एक नही सुनी ? क्योंकि परिसंघ ने इस मांग को उठाया था। जरा सोचिए प्रमोशन में आरक्षण की समस्या किसने खड़ी की है ?

7. सन 2011 में अन्ना हजारे नें जब लोक पाल बनाने का आंदोलन छेड़ा तो सारा देश दबाव में आ गया था और अकेला परिसंघ ही था कि उसने चुनौती दी कि क्या लोकपाल में दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक भी स्थान पाएगें ?उस समय की मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक सभी लोकपाल के अन्दर आने की बात थी। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण की बात उठाई तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में रुची ही समाप्त कर दी। मान लिया जाए कि परिसंघ द्वारा अगर अवाज नहीं उठाई गई होती तो लोकपाल बन गया होता। तो संविधान के ऊपर लोकपाल बैठ जाता और इस देश में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ो की हालत खराब हो जाती। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाकर आरक्षण कि मांग की और यह मांग पूरी भी हुई।

8. अब तक हमने हजारो कर्मचारियों की नौकरियों को बचाया है व लाखों के तमाम भेदभाव को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की, यही कारण है जब परिसंघ आवाहन करता है तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं । परिसंघ किसी को भी चुनौती देता है की लिखित में कोई बहस कर ले यदि देश में किसी और नेता ने इतना कार्य किया हो तो आलोचना करो, लेकिन गलती तो बताओ ।

ज्यादातर निकम्मे ही आलोचना करते है । वे अपने गिरेबान में झाँककर देखें कि उन्होंने क्या किया है ?बहुत सारे लोग कहते हैं की कोई और अम्बेडकर क्यों नही पैदा हो रहा है, तो कोई कैसे पैदा होगा जब अपने ही लोग टांग खीचते हैं ? बाबा साहब की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती लेकिन अगर निष्पक्षता पूर्वक समीक्षा की जाए तो परिसंघ ने उस दिशा में कुछ प्रयास किया है और जारी रहेगा। 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है। अब परिसंघ से संबधित पत्राचार या समस्या का आदान-प्रदान नये ईमेल पर होगा parisangh1997@gmail.com

डॉ. उदित राज ने जितना दलितों के बारे में संसद में प्रश्न किए हैं, शायद किसी और ने नही। कर्मचारी-आधिकारी रिटायर हो रहे है उनके एवज में भी भर्ती नही हो पा रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या के मुताबिक भर्ती की तो बात बहुत दूर की है। ठेकेदारी प्रथा से आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई कमजोर होती जा रही है। पदोन्नोति में आरक्षण की परेशानी बढ़ती जा रही है। चारो ओर अंधकार ही अंधकार है। उजाले की ओर बढ़ने के लिए अब एक होकर कुछ तो करो।

– ब्रह्म प्रकाश
राष्ट्रीय महासचिव
अज/जजा अखिल भारतीय परिसंघ

1998 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी हेतु फिरोज काटला मैदान में विशाल रैली आयोजित की गयी

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में लोक पाल में आरक्षण हेतु इंडिया गेट पर 24 अगस्त, 2011 को विशाल रैली की गई

निजी क्षेत्र में आरक्षण व आरक्षण कानून बनाने के लिए नवंबर-दिसंबर 2009 में डॉ. उदित राज ने आमरण अनुशन किया

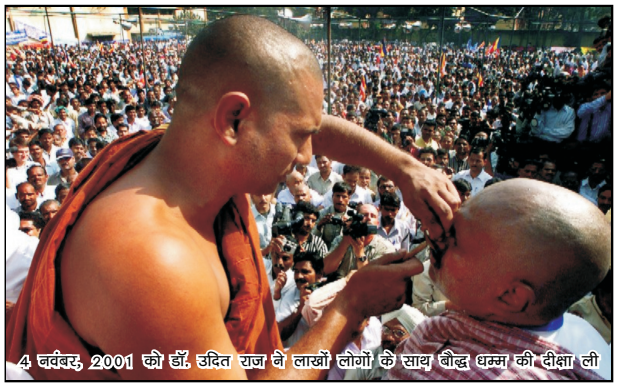
4 नवंबर, 2001 को डॉ. उदित राज ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली

परिवार और जाति तक .....

पृष्ठ 1 का शेष

देता है वह अपनी जिम्मेदारी निभाता है न कि एहसान करता है। क्या देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। बार-बार कहना यह टैक्सपेयर मनी है, यह अर्धसत्य है।

इसी सोच का दूसरा पहलू यह है की सरकारी और दूसरे की सम्पति के प्रति कम से कम लगाव। किसान, मजदूर एवं छात्र आदि अपनी मांग के संघर्ष के दौरान सरकारी सम्पति को बड़ी बेरहमी से नष्ट करने से हिचकिचाते नहीं। समाज और देश के प्रति इतना द्वेश तब झलक पड़ता है जब कोई निजी वाहन से दुर्घटना कर जाता है तो भीड़ सम्पति को जलाने और तोड़ने में पीछे नहीं रहती। भला इसमें समाज और सरकार की क्या गलती है ? जब प्रेमभाव परिवार और जाति में लग जाता है तो समाज और देश के लिए बचा नहीं रह पाता। खुद का भला हो जाए तब जाति के लोगों के लिए सोच बन जाती है। अधिकतर प्रतिष्ठान, संस्थान और लोग जाति को वरीयता देते हैं न कि गुण और अच्छाई। व्यक्ति की सारी भावना जब परिवार और जाति में बंट जाती है तो समाज और देश उसकी दूसरी वरीयता पर खड़े हो जाते हैं। अमेरिका लगभग 300 वर्ष, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लगभग 200 वर्ष के देश हैं, आज वे कहां खड़े हैं, जबकि हमारे समाज का इतिहास 4 से 5 हजार वर्ष का है, फिर भी क्यों पिछड़े ?आवश्यकता है, जाति के बंधन को तोड़ने और निजी स्वार्थ से ऊपर उठने की। अतः हमारे दुखों का इलाज केवल सरकार के प्रयासों से ही संभव नहीं।

पदोन्नति में आरक्षण और परिसंघ का संघर्ष

जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डॉ. उदित राज के नेतृत्व में चल रहे अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए अस्तित्व में आया। तब से लगातार आरक्षण सहित अन्य दलित मुद्दों पर दिल्ली में रैलियां, राष्ट्रव्यापी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन ही नहीं करता रहा बल्कि आदालतों में भी इससे संबंधित मामलों की पैरवी करता रहा है। 85वें संवैधानिक संशोधन को जब एम. नागराज एवं अन्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी तो डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में परिसंघ ने उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार पैरवी करायी गयी। डॉ0 उदित राज ने के. पारासरन एवं ए. सुब्बा राव जैसे अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु नियुक्त कराया। परिणाम रहा कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 85वें संवैधानिक संसोधन को कुछ शर्तों के साथ बरकरार रखा। पदोन्नति में आरक्षण को सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा जब उ0प्र0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी तो डॉ0 उदित राज जी ने उ0प्र0 के दलित कर्मचारियों से उच्च न्यायालय में पैरवी कराने हेतु सहयोग मांगा तो कुछ कर्मचारियों ने कहते हुए विरोध किया कि सुश्री मायावती जी के रहते हुए उनके हितों को प्रदेश में अनदेखा नहीं किया जा सकता और आप मायावती जी को कमजोर करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण पैरवी नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप 4 जनवरी, 2011 को उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध फैसला दिया। उसके बाद भी डॉ0 उदित राज जी ने उ0प्र0 के कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की कि वे सुश्री मायावती जी पर दबाव बनाएं कि वे सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर करने के बजाय प्रदेश स्तर पर समिति गठित करें और नागराज की शर्तों को पूरा करने से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता और 27 अप्रैल, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने उ0प्र0 उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया।

न तो कोई उच्च न्यायालय और न ही उच्चतम न्यायालय की 2 जजों की बेंच उच्चतम न्यायालय के 5 जजों के फैसले को निष्प्रभावी कर सकती है। यदि प्रदेश सरकारें चाहें तो नागराज की शर्तों को पूरा करते हुए अपने प्रदेशों में पदोन्नति में आरक्षण लागू रख सकती हैं। राजस्थान व बिहार में समिति गठित करके उनकी सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू है।

31 जुलाई, 2015 को डॉ0 उदित राज जी ने शून्यकाल के दौरान लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सभा ने 2012 के शीतकालीन सत्र में पदोन्नति में आरक्षण बिल पास कर दिया था लेकिन लोक सभा में अटक गया था उसे अतिशीघ्र पास करके इस विसंगति को दूर की जाए और पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को पूरे देश में बरकरार रखा जाए।

पदोन्नति में आरक्षण मुख्य बिन्दु

- 1955 से एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ था।
- 1992 में आरक्षण के मुद्दे पर आए इंद्रा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस फैसले से प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो गया।
- 17 जून 1995 को सरकार ने संविधान में 77वां संशोधन कर अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा और एससी-एसटी को प्रमोशन में फिर आरक्षण दे दिया। इस संशोधन से कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया।
- 10 फरवरी 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने आर के सब्बरवाल के मामले में कहा कि एससी-एसटी वर्ग को परिणामी ज्येष्ठता (कांसीक्वेंसियल सीनियरिटी) का लाभ नहीं मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने साल 2001 में संविधान में 85वां संशोधन किया और अनुच्छेद 16 (4ए) में बदलाव करके प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता भी दे दी।
- एक अक्टूबर 1996 को एस विनोद कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए एससी-एसटी वर्ग को प्रोन्नति में चयन मापदंड के निर्धारित स्तर में कोई शिथिलता नहीं दी जा सकती।
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को बेअसर करने के लिए साल 2000 में 82वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 335 में बदलाव किया। इसमें कहा कि प्रोन्नति के चयन मापदंड में शिथिलता दी जा सकती है।
- 19 अक्टूबर 2006 को एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने एससी परिणामी ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति में आरक्षण देने के कानूनी प्रावधान को नकार दिया और कहा कि इसके लिए समुचित प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन एवं कार्यक्षमता पर असर न पड़ने वाली शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी होगा।
- राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों में उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली रिपोर्ट नहीं दाखिल की गयी, जिसके कारण वहां पर पदोन्नति में आरक्षण विरोधी निर्णय आए।
- उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 को यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के मामले में एक बार फिर एम नागराज फैसले को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।

उत्तर प्रदेश और पदोन्नति में आरक्षण

उत्तर प्रदेश में में 8 मार्च 1973 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था 1994 तक चलती रही। इसी बीच इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार की रक्षा का तर्क देते हुए पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य सरकारों से अपेक्षा की कि वे पांच वर्षों में नियमों में परिवर्तन करके पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करें। केंद्र सरकार ने 17 जून 1995 को 77वें संविधान संशोधन के जरिये इस बारे में राज्य सरकारों को प्रोन्नति में आरक्षण का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। इसके तहत प्रमोशन में आरक्षण फिर लागू हो गया।

प्रमोशन में आरक्षण के साथ सीनियारिटी का लाभ:

अगड़े व पिछड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठन इसका विरोध कर ही रहे थे कि वर्ष 2001 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में 85वां संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता का लाभ भी दे दिया। इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक के एम. नागराज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने सुनवाई तो जारी रखी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दी।

वर्ष 2007 में प्रदेश में मायावती सरकार ने परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देने के लिए सेवा नियमावली में 8 (ए) जोड़ा। इसमें यह व्यवस्था की गई कि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी या अधिकारी इस व्यवस्था के तहत प्रमोशन पाने के साथ सीनियारिटी (परिणामी ज्येष्ठता)भी पा जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और पावर कॉरपोरेशन सहित कई विभागों के सामान्य वर्ग के लगभग 50 अधिकारियों व कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में 8 (ए) जोड़े जाने को चुनौती दी।

2007 : उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके चलते सभी विभागों में पदोन्नतियां ठप हो गईं।

2011 : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 4 जनवरी 2011 को प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देने का आदेश असंवैधानिक है। यह भी कहा कि इस फैसले से वर्ष 1986 में नियमों के तहत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग अर्हता सूचियां बनाने का प्रावधान महत्वहीन हो गया है और आगे प्रभावी नहीं होगा।

साथ ही परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमावली में जोड़े गए 8 (ए) के प्रावधान को भी निरस्त कर नए सिरे से वरिष्ठता सूची बनाई जाए। राज्य सरकार अगर अपने अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करके ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

पर यह सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

सुश्री मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी।

2012: 27 अप्रैल

शेष पृष्ठ 5 पर

पदोन्नति में आरक्षण और ......

पृष्ठ 4 का शेष

2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सही ठहराया। कहा कि पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता देना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अगर कहीं देना है तो उसके लिए नागराज व

| दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 दिसंबर 2013

निजी क्षेत्र व पदोन्नति में आरक्षण के लिए रैली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण समेत कई अन्य मांगों को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों ने जंतर-मंतर पर एक रैली निकाली। रैली में देश भर से आए सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी समेत आरक्षण समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा नेता नितिन गडकरी, विजेंद्र गुप्ता, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बैरका व अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने अपने विचार रखे।

रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व दिल्ली प्रभारी नितिन गडकरी ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजातियों में इस नकारात्मक भावना का प्रचार प्रसार किया गया है कि बीजेपी उनके हितों की समर्थक नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। भाजपा 20-20 विजन तैयार कर रही है जिसमें इन वर्गों की सभी मांगों को शामिल किया जाएगा। यही नहीं लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी सत्ता में आई तो इन वर्गों से संबंधित संसद में लंबित विधेयकों को भी पारित कराया जाएगा।

डॉ. उदित राज ने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरियों, कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों व राजनीति में आरक्षण से ही दलितों व आदिवासियों की प्रगति नहीं हो सकती है। व्यापार, उद्योग, कला, संस्कृति, कृषि, वित्त, शेयर, आयात निर्यात एवं मीडिया में भागीदारी अभी भी कम है। वर्तमान में सरकार में 149 सचिव हैं, जिनमें से एक भी अनुसूचित जाति से नहीं है। संप्रग सरकार ने 2004 में राज्यसभा में आरक्षण कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया।

महासम्मेलन को संबोधित करते इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष डा. उदित राज।

प्रमुख मांगे

- निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण
- सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए।
- सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान।
- समान शिक्षा।
- भूमिहीनों को भूमि।
- आरक्षण कानून बनाया जाना चाहिए।
- महंगाई की दर से छात्रवृति में बढ़ोतरी।
- एक राज्य का प्रमाणपत्र सभी राज्यों में मान्य हो।

इंदिरा साहनी मामले में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 16 नवंबर 1997 तक पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आएंगे।

यह था एम. नागराज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

2006 में कर्नाटक के अभियंता एम. नागराज व अन्य की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी को परिणामी ज्येष्ठता देने का प्रावधान कर सकती है। पर, इसके लिए उसे संबंधित कर्मचारी के बारे में तीन प्रमाण पत्र देने होंगे।

1-संबंधित सेवा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

2-जिसे इसका लाभ दिया जा रहा है, वह सचमुच पिछड़ा है। साथ ही इस पदोन्नति से उसके किसी समकक्षी के हित प्रभावित नहीं होंगे।

3-पदोन्नति के फलस्वरूप सरकारी मशीनरी की कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी। अगर 100 पद हैं तो उनमें 21 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति के लोगों को और 2 प्रतिशत पर अनुसूचित जनजाति के लोग पदोन्नत होंगे। शेष पर समान्य वर्ग के लोगों की पदोन्नति होगी। अगर कहीं आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति पाने की शर्त पूरी कर रहा है तो उसे ऊपर के पद पर अनारक्षित पद पर भी पदोन्नति दी जा सकती है।

क्या है परिणामी ज्येष्ठता:

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी-कर्मचारी को पदोन्नति के पद पर भी वरिष्ठता का लाभ देना। उदाहरण के तौर पर सामान्य या पिछड़े वर्ग के दो लोग 1 जनवरी 1999 को सहायक अभियंता पद पर नियुक्त हुए। अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति 1 जनवरी 2000 को नियुक्त हुआ। अनुसूचित जाति के सहायक अभियंता को 1 जनवरी 2005 को अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति हो गई। उससे एक वर्ष पहले नियुक्त सामान्य व पिछड़े वर्ग के सहायक अभियंताओं को 1 जनवरी 2008 में पदोन्नति मिली तो अनुसूचित जाति का अभियंता सामान्य व पिछड़े वर्ग के अभियंता से तीन साल सीनियर मान लिया जाएगा। यही नहीं पूरी नौकरी उसे इस ज्येष्ठता का लाभ मिलता रहेगा।

पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला :

इस फैसले से उत्तर प्रदेश में 1400-1500 अधिकारी-कर्मचारियों का डिमोशन होना तय है। जिन विभागों पर मुख्य रूप से इसका असर पड़ेगा, उनमें सिंचाई, बिजली, लोकनिर्माण व पुलिस जैसे महकमे शामिल हैं।

– सी. एल. मौर्य

+++

सपा सरकार द्वारा दलितों को भूमिहीन करने की साजिश

26 अगस्त, 2015 को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2015 पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अनुसूचित जाति के लोग कलेक्टर की अनुमति से अपनी खेती की जमीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के बेच सकेंगे। ऐसा हो जाने के बाद अब दबंग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लोभ-लालच या डरा-धमकाकर उनकी जमीनों को अपने नाम करवा सकेंगे। अभी तक चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-157(क) में अनुसूचित जाति के भूमिधर को कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने, दान करने या उसका पट्टा देने का अधिकार नहीं था। इस सिलसिले में प्रतिबंध यह था कि अनुमति देने से पहले कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होता था कि जमीन बेचने पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास कम से कम 3.125 एकड़ (1.26 हेक्टेयर) जमीन बच रही हो। यदि उसके पास इससे कम जमीन बच रही होगी तो कलेक्टर उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं दे सकते थे। [illegible]सके पीछे स[illegible]ार तर्क दे रही है [illegible] पति[illegible] का भूमिधर आसानी से अपनी जमीन बेच नहीं पाता था। सरकार का तर्क है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का विभाजन होने और आबादी बढ़ने के कारण औसत जोत का आकार लगातार घट रहा है।

इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन बेचने पर क्षेत्रफल का प्रतिबंध अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन से अनुसूचित जाति के भूमिधरों के हितों की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि यदि इस प्रकार का कानून अस्तित्व में नहीं होता तो कुछ दलित जो जमीन-जायदाद के मालिक हैं कब के भूमिहीन हो गए होते।

– सी. एल. मौर्य

+++

Industry needs to develop 'Adarsh' Villages

The Indian Prime Minister announced from the ramparts of the red fort last year an exemplary declaration that now the time has come when villages should be made habitats like cities. He asked each Member of Parliament to adopt a village on a yearly basis. The vision behind this scheme is to develop a village in which all basic infrastructure like drainage, health mapping, good education, skill training, mechanized and organic agricultural activities, safe drinking water, use of locally available renewable energy, extension of internet and Wi-Fi facilities, sports, sanitation and hygiene, promotion of micro and small enterprises, financial inclusion, creation of trade centre, promotion of tourism, gender equality and social justice and empowerment. I have adopted the village Jaunti in Mundka, New Delhi which is in North West Delhi Parliamentary Constituency and approximately 25 km from the heart of Delhi and takes an hour or so to reach from Central Delhi. Though FICCI is doing a lot of developmental activities with support from its members, so far hardly any model, be it energy, infrastructure or village waste have been created which can be considered as an ideal which can be replicated in rural India. My request to industrialists and philanthropists is to concentrate on Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY), which is monitored not only by me, but directly by the Rural Development Ministry and the Prime Minister's Office. For the time being, if the stakeholders like FICCI extend a helping hand to develop the village, their efforts can be amplified many times. Why I am saying so because this contribution of yours will bring about reformation and movement, like that of the Meiji reform of Japan, renaissance and reformation in Europe and the cultural revolution in China. Governments and the civil society organisations, NGOs and industries have resource constraints in providing each rural habitat their basic needs because our population is huge. The proverb "to teach how to fish than offer a fish" is apt in this context too as with the creation of such model villages, a message will be sent across the country that it is possible. It is well-nigh impossible without external help. CSR and the NGO efforts are more relevant in developed countries, but in our case, they have limitations as gap is huge, and needs are infinite. Governments and FICCI-like organisations play the role of a catalyst, but at the end of the day, the people of the country themselves have to rise to the occasion to develop the Nation. In the first week of June, my Secretary Mr. Somnath and I were in Washington to impress upon not only the Indian diaspora, but all others who are in the realm of philanthropy, development and investments. They too like the concept of creation of Model Villages. Through creation of model villages, flight of rural people towards cities can be checked. A few in the cities may idealize the simplicity of village life, but the fact remains that most of them would prefer to leave villages and settle in cities. They come to the cities for want
of employment, and have better amenities and opportunities to develop themselves. This has snarled city administration, as due to an unmanageable population, city administrations are unable to provide housing, roads, power, education, healthcare and in this way, there is not only an imbalance in cities, but in rural India too. For instance, Delhi is tremendously overpopulated and that has created a chaotic situation and highest level of pollution and it was a shame for us that President Obama's life spanwas reduced by six hours when he spent three days in Delhi, as per their observations.

Is it possible to build the India that we desire? Yes, it is. A few hold the opinion that igh density of population is the cause of these problems, but other countries having higher density of population like Japan and South Korea have proved that it is a boon. Through making India skilled, and creation of Sansad Adarsh Gram, we can also turn the situation upside down, that is, our huge population can be an asset instead of acurse. In third and fourth week of June, we took a tour to Australia and New Zealand. While interacting with people in Sydney (Australia), it was mentioned repeatedly that the British convicts started arriving in Australia around 1770 and it is they who built the modern Australia. If they can develop their nation in approximately 200 years, where have we wronged to not have achieved the same in 5000 years? New Zealand's population is equivalent to the population of my constituency and Delhi's population is more than that of Australia and yet what development has happened there! New Zealand is a world leader in the fields of agriculture and dairy production. India is blessed with flat and fertile land, and with three climatic seasons, which is quite ideal for dairy and agricultural production. Through creation of modern villages, at least, agriculture and dairy products can be developed to equal those of New Zealand, and this will take care of several issues. Last, but not the least, I appeal to your members that instead of investing their energy and resources elsewhere, they should help in developing an Adarsh village to help the country reach the ranks of developed Nations.

- Dr. Udit Raj
Member of Parliament
(Lok Sabha)
National Chairman
All India Confederation of
SC/ST Organizations

My plans for the holistic development of Jaunti are listed below:

100% Immunization	Last mile infrastructure connectivity of global standards
100% Voter Enrollment	Restoring existing heritage structures
0% School drop-out rate	Promoting the village as a tourist attraction
100% Wi-Fi penetration	Minimum of 2 bank accounts for every household
Housing for all	Providing support and market access to local artisans, especially those involved in traditional handicrafts
0 untreated sewage	Minimum of 1 toilet per household
1 Multi-purpose digital community centre	Skill development programs for all unemployed youth
1 Tertiary healthcare centre	Free universal primary healthcare access
Health insurance for all	Institution of higher learning
1 Sports complex	Promotion of kabaddi through training and financial incentives

दलितों को भूमिहीन करने की साजिश के खिलाफ मुरादाबाद कलेक्ट्री-कचेहरी के सामने धरना-प्रदर्शन

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मुरादाबाद ईकाई द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2015 को कलेक्ट्री-कचेहरी पर धरना-प्रदर्शन किया गया। एस.सी./एस.टी. की भूमि को बिना परमीशन के किसी भी वर्ग को बेच देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में धरना- प्रदर्शन किया गया और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकरी द्वारा अपराह्न 3 बजे ज्ञापन लिया गया। सभा में परिसंघ की जिला सचिव श्रीमती निर्देश सिंह और महानगर अध्यक्ष अजय वीर सिंह एवं जिला अध्यक्ष आदर्श कुमार भारती एड. के हस्ताक्षर से ज्ञापन दिया गया और परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्री केदार नाथ सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा नेतृत्व परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जगजीवन प्रसाद ने किया।

उन्होंने धरना स्थल पर निर्देश सिंह के साथ धरने पर बैठी सैकड़ो महिलाओं एवं पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुद्दे को हम उत्तर प्रदेश के हर जिले एवं मण्डलों सहित प्रदेश स्तर पर भी उठाएंगे और किसी भी हालत में यह दलित विरोधी बिल विधान सभा में पास नहीं होने देगें क्योंकि जब यह बिल पास हो जाएगा तो दलितों की ज़मीन गुड़ों, भूमाफियों एवं सर्वणों द्वारा जबरस्ती अनपढ़ दलितों, गरीबों से उनकी खेती की ज़मीन का बैनामा तथा समझौता (एग्रीमेन्ट) करवा कर कब्जा ले लेगें और उन्हीं की ज़मीन पर उनको मजदूरी करनी पड़ेगी और दलित पुनः अपनी पूर्व की स्थिति में पहुंच कर भूमहीन एवं गुलाम बन जाएगें। व बार-बार उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते रहे।

सभा को परिसंघ की मुरादाबाद मण्डल इकाई के सभी पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और निर्णय लिया कि इसी तरह का अगला धरना 6 सितम्बर को अमरोहा जनपथ कलेक्ट्री के समाने होगा।

- जगजीवन प्रसाद
राष्ट्रीय समन्वयक एवं अध्यक्ष उ.प्र.

NSOSYF
NATIONAL SC,ST,OBC STUDENT & YOUTH FRONT
सम्यक क्रांति हमारा संकल्प

नसोसवायएफ का प्रथम महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, मुख्य मार्गदर्शक नसोसवायएफ एवं डी. हर्षवर्धन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल एस.सी., एस.टी., ओबीसी स्टूडेन्ट एण्ड यूथ फ्रंन्ट के नेतृत्व में नसोसवायएफ का प्रथम महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन 13 सितम्बर, 2015 को प्रातः 10 बजे से कुसुमताई चव्हाण सभागृह, आइ.टी.एम कॉलेज, नांदेड पर अयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में दलित, आधिवासी एवं ओबीसी छात्रों के साथ शिक्षा एवं रोजगार संदर्भ चर्चा होने वाली है। महाराष्ट्र प्रदेश के सभी छात्र, छात्रनेता और युवा से हम अपील करते हैं कि इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में शामिल होकर संगठन को मजबूत बनाएं।

संम्पर्क :- रवि सुर्यवंशी, मो. 7588526831, बालजी कोंडामंगल, मो. 9921762669, संघरत्न निवंडगे, मो. 9970844553, धम्मपाल वाढवे, मो. 9922060440, गणेश येरेकर, मो. 9975461867, राहुल सोनाळे, मो. 7385038761

Allahabad's Blatantly Upper - Caste Character

Brahmins and Kayasthas have cornered 50 per cent of the "positions of power and influence" in the city. Their domination extends to NGOs, courts and the media.Ankita Aggarwal, Jean Drèze and Aashish Gupta were struck by how many Sharmas, Tripathis and Srivastavas (mostly men) they ran into whenever their academic and research work took them from Delhi to Allahabad. Brahmins and Kayasthas form a little more than 10 per cent of Uttar Pradesh's population, so this meant almost 90 per cent were unrepresented in these "positions of power and influence (POPIs)". They trolled the websites of the various public institutions in the city for the names of the people in POPIs and obtained their lists of employees and directories. From these institutions, including Allahabad University, Indian Institute of Information Technology, the Press Club and the NGOs, they had 1852 names in all. On investigating these names for caste, at least 75 per cent turned out to be upper-caste and about 50 per cent to be Brahmins and Kayasthas.

Ankita Aggarwal is a researcher associated with the National Institute of Rural Development and Aashish Gupta is a research fellow at the Research Institute for Compassionate Economics. Jean Drèze is a well-known economist who has co-authored several books with Nobel laureate Amartya Sen; he was a member of the National Advisory Council when the UPA was in power at the Centre, and has also been a visiting professor at the Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad. Aggarwal, Drèze and Gupta jointly published the findings of their research in an article titled "Caste and the Power Elite in Allahabad" in the 7 February 2015 issue of the Economic and Political Weekly.

Table 1 :

U = Allahabad University. BDO = Block Development Officer. CDO = Chief Development Officer. GBPSSI = G B Pant Social Science Institute. IIIT = Indian Institute of Information Technology. Size of the group is given in brackets. Asterisks indicate cases where a sample was taken, due to the large size of the group; in such cases, the number in brackets is the size of the sample. Source: EPW

The authors didn't restrict their study to the positions of power and influence. They also obtained similar data from an informal sample of people involved in intermediate and subordinate occupations. Those in the intermediate occupations included peons, clerks and security guards, while the subordinate occupations covered the rickshaw pullers, gardeners and safai karamcharis. Even among the intermediate occupations, which "do not require special skills beyond elementary education", the upper castes were overrepresented. However, when it came to the subordinate occupations, which mostly involve manual labour, the proportion of upper castes was minuscule. The findings of these studies were in agreement with research done earlier on the caste composition of workplaces, be it the boardrooms of large businesses, newsrooms or among the secretaries to the Government of India.

Table 2 :

For positions of power and influence, see Table 1. "Intermediate positions" comprise: mainly Class 4 staff, accounts clerk, second and first grade clerks, safai nayak (cleaning supervisor), nayab moharrir (revenue collection officer) and "helper" at the Allahabad Municipal Corporation, and also guards and junior clerical staff at the G B Pant Social Science Institute. Size of each group (number of persons) in brackets. Source: EPW

Aggarwal, Drèze and Gupta dismissed the common justification that there is a lack of people belonging to the historically disadvantaged social groups who are qualified enough for POPIs as "lame" and that it only applies to jobs that require exceptional qualification. They cited the India Human Development Survey 2004-05, which showed that in Uttar Pradesh, the OBCs, Dalits, Muslims and others together had more adult graduates – 51 per cent of the total – than the upper castes. However, the authors say, "the massive social inequalities in access to education (especially quality education)" do allow the upper castes to dominate public institutions. But there are other reasons, too. "Upper-caste persons tend to have friends and well-wishers in influential positions, not just because they are relatively affluent and well-educated but also by virtue of their caste and family ties," the authors write. These networks are preserved from one generation to another through endogamous marriages. Then there is plain discrimination against the Bahujans during recruitment, as well as poor implementation and cunning circumventing of reservation norms.

The authors conclude that their findings make a "a strong case for greater attention to diversity in public institutions, of the sort that has significantly reduced ethnic or gender imbalances in other countries. Nothing prevents the Bar Association, NGOs or trade unions in Allahabad from ensuring that they do not become upper-caste clubs. When they fail to do so, they become effective guardians of the caste hierarchy." ✦✦✦

Table 1: Share of Upper Castes in Positions of Power and Influence, Allahabad (%)

Reference Group	Upper Castes	Brahmin and Kayastha
Leaders of teachers' unions (17)	100	76
Allahabad Press Club, office bearers (16)	100	75
Proprietors of advertisement agencies (11)	91	55
Hospital doctors (99)	89	37
Bar Association, executive committee (28)	86	68
Prominent publishers (12)	83	42
GBPSSI faculty (15)	80	60
Advocate Association, executive committee (14)	79	57
NGO representatives (30)	77	47
Union leaders (clerical & manual workers) (49)	76	55
Allahabad University faculty* (112)	76	54
Police officers (district and block levels) (28)	68	39
IIIT Allahabad faculty (47)	68	36
High court judges (75)	68	32
High court lawyers* (100)	67	44
Traders' association (6)	67	0
College principals (16)	56	19
Junior engineers, Allahabad municipality (20)	55	30
Total (1,077)	75	46

Table 2: Share of Upper Castes and Others in Different Occupation Groups (%)

	Positions of power and influence (1,077)	"Intermediate positions" (399)	Occupations involving hard labour (225)
Upper castes	75	36	8
Persons withoutSurname	1	13	50
Other	24	51	42

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

द्वारा रेलवे कर्मचारियों का सम्मेलन 27 सितंबर को मावलंकर हाल, दिल्ली में

पूरे देश में अनुसूचित जाति/जन जाति की एसेसिएशन एवं संस्थाएं कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा बनायी गई हैं लेकिन उनके द्वारा अपेक्षित रचनामत्क कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली में बैठ कर रेलवे कर्मचारियों का चंदा खा रहे है और दलित आंदोलन को बेच रहे है। न तो उचित ट्रांस्फर–पोस्टिंग हो रही है और न ही भर्ती हो रही है। ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. इम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा रेलवे के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यदि कोई कर्मचारी आवाज उठाता है तो उसे डरा– धमका कर उसके पद से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर अपनी मर्जी का व्यक्ति बैठा दिया जाता है। रेलवे एस.सी./एस.टी एसोशिएन में अपनी बात कहने की भी अज़ादी नही है इसलिए ऐसे लोगों को बदला जाना बहुत जरुरी है। इसके लिए परिसंघ द्वारा डॉ0 उदित राज जी के नेतृत्व में 27 सितम्बर 2015 को प्रातः10 बजे से मालवंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में सेमिनार किया जाएगा जिसमें देश के सभी रेलवे कर्मचारी–अधिकारी व वेलफेअर एसोशिएन के सदस्य एवं पदाधिकारियों को अमंत्रित किया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य रेलवे एस.सी./एस.टी कर्मचारियों के भविष्य की योजनओं पर चितंन तथा रेलवे एसोसिएशन को कर्मचारियों हित में प्रभावी बनाना है।

संपर्क : ब्रह्म प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव, मो. 9871170028

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 19 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 August, 2015

OUR NATION IS BOUND BY FAMILIES AND CASTES

Dr. Udit Raj
Member of Parliament (Lok Sabha)
National Chairman
All India Confederation of
SC/ST Organizations

Something does amiss that myriads of thoughts, schemes, lectures and programmes are made but do not get materialized. Government has chalked out a number of good schemes but the challenge to give effect to them is the biggest one. It is not only mysterious but tragic that people do talk about these programmes and schemes but are not inclined to follow them. People do not get tired of talking about patriotism but when it comes to doing anything for the nation they simply ditch. Yet they brag about their supremacy to the world. Simplicity is our culture. Everybody thinks it is the Government which will do everything. Last month a question rose in the Indian diaspora in Sydney as to where the country has become clean and as to what the Prime Minister has done. I replied that the Prime Minister took the broom in his own hands and started the cleanliness campaign. All the MPs and Ministers followed the suit. They cannot clean up home by home. Everybody will have to clean up his home and his own area. Their contribution and responsibility vanishes when it comes to serving the country and the community. We look towards the Government for our own duties and responsibilities. It is a Yaksha question - if this mental set up can ever be changed.

People lack time and resources when it comes to doing something for the nation. But when vested interests are at stake then there is no such impediment. Is it is not that family and community considerations devour most of our time and resources? When we spend all our time and resources in such petty considerations, there hardly remains anything for nationalism. I do not mean you should not think of your family and community. If you do not do anything for the nation, it would not mean much. But you should not hurt the interests of your country. Workers want their demands fulfilled, at whatever cost that may be. In no other country of the world workers want their demands fulfilled at any cost. Is it not fulfillment of your vested interest? Then what? Once I was invited as a guest in a Conference held jointly by all the trade unions of BSNL. I asked them a very simple question – If these unions have ever demonstrated against the losses made by BSNL? It is undeniable fact that some private players collude with some BSNL officials to disrupt its services. Because of untimely upgradation by BSNL, private players give better services. Unions never agitate against such bungling. My comments did hurt the conscience of some of BSNL officials. Everyday there are agitations and Dharnas for get their demands fulfilled but hardly they agitate against the rampant corruption amongst trade union leaders. Through this live example we may conclude that when we spend all our energies, sentiments and sense of devotion to fulfill our vested interests, national interests become a secondary issue.

I feel pained when some people impose their indebtedness upon the nation. If the forefathers of anybody had done some good work for the nation in the field of sports, freedom struggle, or offspning in the Forces, the nation becomes indebted to them and it become the duty of the nation to look after their off springs. For example, Dhyan Chand was the legend of the Indian hockey while his descendants are leading a common man's life. Some newspaper may print on their miserable plight. What the Government or the community may do for them? If the son or any relative of a freedom fighter is working as a labourer, the media cries harsh of their deplorable condition. All of us know very well how competitive it is to get into the Army. Sometimes the Police have to manage the crowds of aspirants. The family of the person who is selected, bursts into rejoices. Normally such people are the common men whose only means of livelihood is job. Nobody works without remuneration. If a Jawan sacrifices his life for the cause of the nation, he becomes a martyr. Their wages and perks are paid by the taxpayers. They do not serve for free. Recently a Fauji died at the frontiers. When his body was brought to his native village in Haryana, the villagers got restive since no Government Minister had come. Hurriedly, the Government arranged to send somebody. No doubt, dying a soldier's life is a sacrifice but not 'indebtedness' upon the nation. It was the humble duty of the representative of the Government to attend the funeral of the soldier. We become indebted when duty is done without any self interest.

This poor nation has always been burdened with the weight of indebtedness. Rich makes it indebted by paying the taxes as if he has produced something on his own and there had been no contribution of farmers and labourers in producing the raw materials. It is the common man which buys the goods and the seller fulfills his responsibility by paying the taxes. He does no favour to the nation. Harping on the dictum that it is taxpayer's money is only a half baked truth.

This type of thinking has the other side too, i.e. least attachment to the Government and others' property. Farmers, workers and students do the cruel damage to the Government property during agitations, without any hesitation. Anger and hate against Government property becomes visible when some private vehicle indulges in some accident and the crowds do not lag behind in causing maximum damage to it. Think, what is the fault of community or the Government in it. When emotions run high for one's family and the caste, there remains nothing for the community and the nation. When our vested interests are fulfilled then we start thinking of the caste. Most of the institutions and the people give priority to caste and not to quality and goodness. When the whole lot of our emotions is diverted to our family and caste then the nation and community become a secondary option. The United States of America is around 300 years old, Australia and New Zealand about 200 years and yet where they stand today. On the other hand, the cultural heritage of our nation is between four and five thousand years old. Yet, we are backwards in our thinking and actions! Today we need to break the shackles of casteism and vested interests. Therefore, the only panacea for our miseries does not lie in Government efforts alone!

- Dr. Udit Raj, MP
(Lok Sabha)

All India Confederation of SC/ST Organizations

NATIONAL RALLY AT NEW DELHI ON 07th DEC 2015

Like previous years, this year too a mammoth NATIONAL RALLY will be held at the historic Ram Leela Grounds at New DELHI on 07th December, 2015 under the stewardship of our beloved National Chairman, Dr. Udit Raj. All State, District and Block-level Units of All India Confederation of SC/ST Organizations are advised to hold meetings as early as possible to mobilize maximum strength at the Rally. Dr. Udit Raj may like to participate in such meetings at the State level. Details of membership drive may be sent to the National HQ Delhi forthwith. Details of membership will be published in the forthcoming issue of Voice of Buddha.

- Dr. Udit Raj, National Chairman

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar